न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 619/2025

वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

1. अमीचंद पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 09, 02 डी.एल.पी. नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. संदीप चौधरी पुत्र अमीचंद जाति जाट निवासी वार्ड नं. 09, 02 डी.एल.पी. नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. सिलोचना
2. फूलवंती
3. रजनी
4. हेमलता
5. मोनिका

पुत्रियां जाति जाट निवासी वार्ड नं. 09, 02 डी.एल.पी. नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री हरबंश सिंह झोरड़–वकील वादीगण
2. श्री बन्टुश बिश्नोई –वकील प्रति.सं. 1ता5

निर्णय **दिनांक :– 18.3.2026**

वादीगण अमीचंद वगैरा ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 19.12.2025 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादपत्र की चरण सं. 2 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 की वंशावली को दर्शाया गया है। वादी सं. 1 के पिता व वादी सं. 2 के दादा बेगाराम पुत्र जीवनराम के नाम से चक नं. 2 डी.एल.पी. ज.सं. 2071–74 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 4/66 में कुल 8.401 है. कृषि भूमि में से 2801/8401 हि. यानि 2.801 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के पिता/दादा की पैतृक कृषि भूमि है। वादी सं. 1 के पिता व वादी सं. 2 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के दादा बेगाराम पुत्र जीवनराम की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 वाद पत्र की चरण सं. 3 में बेगाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि के जन्म से ही हकदार है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 वादी सं. 1 की पुत्री तथा वादी सं. 2 की बहिन है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने वाद पत्र की चरण सं. 3 में अपने दादा के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. कर दिया है। अब प्रतिवादी सं. 1 ता 5 वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रखना चाहती है। अतः वादीगण प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के हक हिस्सा के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादीगण ने पिछले सप्ताह प्रतिवादी सं. 1 ता 5 से निवेदन किया कि वे वादीगण को वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में अपने दादा बेगाराम के नाम दर्ज भूमि के घरेलु बंटवारानुसार ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार होना मान कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादी सं. 1 ता 5 वादीगण के इस न्यायोचित निवेदन से स्पष्ट इनकार हो गई। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सींगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की। साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित जमाबन्दी चक नं. 2 डी.एल.पी. ज.सं. 2071–74 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 4/66 EX-1 प्रदर्श हुई। साक्ष्य वादी में वादी सं. 2 संदीप चौधरी का शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द. की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर से जमाबन्दी चक नं. 2 डी.एल.पी. ज.सं. 2071–74 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 4/66 के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता/दादा बेगाराम के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 की ओर से स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण की पैतृक आराजी है। जिस पर वादीगण का जन्म से ही हित एवं स्वत्व निहित है। प्रकरण में स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश होने के कारण तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है। अभिभाषक वादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त संबंधित अन्य कोई विवाद सामने नही आया है। न्यायालय के मत में वाद वादीगण स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक नं. 2 डी.एल.पी. ज.सं. 2071–74 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 4/66 में कुल 8.401 है. कृषि भूमि में से 2801/8401 हि. यानि 2.801 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि में वादीगण अमीचंद व संदीप चौधरी को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर वादी सं. 1 के पिता एवं वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के दादा बेगाराम पुत्र जीवनराम का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। नियमानुसार पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली वाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया